

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक : संस्था/राजपत्रित/एस-2217/2024/161
दिनांक : 11-6-2024

--: आदेश :-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चूरु के पत्र क्रमांक 341 दिनांक 03.06.2024 के द्वारा की गई अभिशंभानुसार राजकीय उप जिला चिकित्सालय, सुजानगढ़ के वर्तमान प्रभारी डॉ. सुरेश चन्द कालानी, प्रमुख विशेषज्ञ (औषध), के कार्यकाल के दौरान कई शिकायती प्रकरण संज्ञान में आने के फलस्वरूप श्रीमान् संभागीय आयुक्त , सीकर व जिला कलक्टर, चूरु से प्राप्त निर्देशों के आधार पर राजकीय उप जिला चिकित्सालय, सुजानगढ़ में पदस्थापित डॉ दिलीप सोनी, प्रमुख विशेषज्ञ (औषध), को उप जिला चिकित्सालय, सुजानगढ़ के कार्यालय के आहरण एवं वितरण अधिकारी की शक्तियां सामान्य वित्त एवं लेखा नियम-3 क के अन्तर्गत अस्थाई तौर पर अग्रिम आदेशों तक प्रदान की जाती है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर
दिनांक :

क्रमांक : संस्था/राजपत्रित/एस-2217/2024/
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. श्रीमान् संभागीय आयुक्त , सीकर।
2. जिला कलक्टर, चूरु।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- बीकानेर ।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चूरु।
5. कोषाधिकारी सम्बन्धित।
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी , उप जिला चिकित्सालय, सुजानगढ़ ।
7. डीलिंग सहायक, ए टू जी सीट संस्थापन राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
8. डॉ दिलीप सोनी, प्रमुख विशेषज्ञ (औषध) उप जिला चिकित्सालय, सुजानगढ़ ।
9. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र विभाग की वेबसाईट पर आज ही अपलोड करावें।
10. रक्षित/निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
7916016

Document certified by RAVI PRAKASH
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>

Digitally Signed by RAVI
PRAKASH MATHUR
Designation: Director
Date :10-06-2024 03:48:24